अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

1. **उपस्थिति** — यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया।

आज दिनांक 23.09.2014 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि के साथ राजस्व एवं भू–अभिलेखों के कम्प्युटराईजेशन साथ ही भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र पंचायत सरकार भवन से संबंधित परिचर्चा की गयी। गत् बैठक में निदेश दिया गया था कि प्रत्येक माह के 01ली एवं 02री तारीख को निश्चित रूप से मासिक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को देंगे, परन्तु समय पर प्रतिवेदन अंचल अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपना प्रतिवेदन सर्वप्रथम संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे एवं उसकी प्रति अपर समाहर्त्ता को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल से संबंधित समेकित प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता देंगे, ताकि अनुमंडल पदाधिकारी भी सभी तरह के प्रतिवेदन/प्रगति से अवगत हो सकें। बैठक में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सदर अनुपस्थित पाये गये उनका एक दिन का वेतन स्थगित किया जाता है।

तदुपरान्त सभी अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं गत् बैठक में दिये गये निदेश पर बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत परिचर्चा की गयी।

2. **<u>ऑपरेशन भूमि दखल :—</u>**

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त पत्र के बारे में अवगत कराया गया, जो सरकार द्वारा आवंटित भूमि यथा भू–हदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अन्तर्गत प्राप्त भूमि, गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम भूमि जो सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को आवंटित कर पर्चा निर्गत किया गया है, उन जमीनों की नापी कर उस पर भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है। कई मामलों में यह भी ज्ञात हुआ है कि पर्चाधारियों को आवंटन के बावजूद उनके नाम से दाखिल खारीज नहीं हुआ है। विभागीय पत्र की प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचल अधिकारी को बैठक में ही उपलब्ध करा दिया गया।

अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम अंचल स्तर पर सभी पर्चाधारियों की सूची सम्पूर्ण विवरणी के साथ तैयार किया जाय, जिन्हे दिनांक 31.08.2014 तक पर्चा निर्गत किया गया है। सूची के आलोक में पंचायतवार विशेष कैम्पों का आयोजन कर पर्चाधारी को भूमि पर दखल होने या न होने का पता लगया जाय तथा विभागीय निदेशानुसार कार्रवाई करते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05वीं तिथि तक देंगे, ताकि 10वीं तारीख तक विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

3. भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :–

भू–अभिलेखों के कम्प्युटराईजेशन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अगस्त, 2014 तक जिला के सभी अंचल अधिकारियों को प्रपत्र–02 एवं प्रपत्र – 03 की आपूर्त्ति 320000 (तीन लाख बीस हजार) उपलब्ध करा दी गयी है, जिसमें से प्रपत्र – 02 एवं प्रपत्र – 03 को सत्यापित कर 67245 प्रपत्र प्राप्त हुआ है जो सम्पूर्ण प्रपत्र का 21 प्रतिशत है।

सभी अंचल अधिकारियों/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रपत्र – 02 एवं प्रपत्र – 03 का सत्यापण का कार्य पूरा कर लें ताकि डाटा इन्ट्री का प्रिंट आउट की प्रति भी राजस्व ग्रामों में आपत्ति हेतु प्रकाशित किया जा सके।

4. भू–लगान :–

भूलगान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार की गयी, जो निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि	प्रतिशत
1	सदर	**472383.00**	**20.96**
2	जमालपुर	**182307.00**	**12.06**
3	धरहरा	**245980.00**	**7.07**
4	बरियारपुर	**237586.00**	**15.85**
5	ह0 खड़गपुर	**340635.00**	**9.54**
6	टेटियाबम्बर	**103709.00**	**17.56**
7	तारापुर	**346182.00**	**20.04**
8	असरगंज	**134519.00**	**14.40**
9	संग्रामपुर	**253611.00**	**13.13**
कुल वसूली		**2316912.00**	**13.24**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के द्वारा माह अगस्त, 2014 का लक्ष्य 13 प्रतिशत लगान वसूली का निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अंचल अधिकारी, धरहरा एवं जमालपुर द्वारा कम वसूली की गयी है। निदेश दिया गया कि वसूली में तेजी लायें।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह भू–लगान की वसूली की गयी राशि कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो अस्थायी गवन माना जाएगी। इसके लिए अंचल आकिारी भी दोषी माने जायेंगे।

5. दाखिल – खारीज :–

दाखिल खारीज से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार की गयी है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	31.03.14 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.14 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.14 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6–9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	**82**	**818**	**292**	**1192**	**803**	**297**	**1100**	**92**
2	जमालपुर	**11**	**438**	**120**	**569**	**289**	**230**	**519**	**50**
3	धरहरा	**35**	**108**	**124**	**267**	**0**	**130**	**130**	**137**
4	बरियारपुर	**108**	**456**	**199**	**763**	**427**	**150**	**577**	**186**
5	ह0 खड़गपुर	**66**	**600**	**60**	**726**	**585**	**98**	**683**	**43**
6	टेटिया बम्बर	**12**	**164**	**8**	**184**	**117**	**56**	**173**	**11**
7	तारापुर	**26**	**580**	**120**	**726**	**564**	**29**	**593**	**133**
8	असरगंज	**48**	**331**	**92**	**471**	**301**	**105**	**406**	**65**
9	संग्रामपुर	**15**	**322**	**98**	**435**	**235**	**113**	**348**	**87**
कुल योग :–		**403**	**3817**	**1113**	**5333**	**3321**	**1208**	**4529**	**804**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक मामले जमालुपर अंचल में 160, बरियारपुर में 143, धरहरा में 160 एवं संग्रामपुर में 102 लंबित है। लंबित रहने के मामले की जाँच हेतु गत बैठक में निदेश दिया गया था कि अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता अपने – अपने क्षेत्रान्तर्गत दाखिल खारीज लम्बित रहने के मामले की जाँच करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गयी है, यह विचारणीय बिन्दु है।

पुनः निदेश दिया जाता है कि गत् बैठक में दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

6. भू–हदबंदी, भू–दान, गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि एवं वासगीत पर्चा के बेदखली से संबंधित :–

भू–हदबंदी, भू–दान, गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि एवं वासगीत पर्चा के अन्तर्गत बेदखली संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार की गयी। जो निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	दिनांक 31.3.14 तक बेदखली के लंबित मामले		दिनांक 01.04.14 से गत माह तक दायर मामले		प्रतिवेदित माह में दायर मामले		बेदखली के कुल मामले		दिनांक 01.04.14 से गत माह तक दखल कब्जा दिलाये गये मामले		प्रतिवेदित माह में दखल कब्जा दिलाये गये मामले		दखल कब्जा दिलाये गये कुल मामले		शेष लम्बित मामले		अभ्युक्ति
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या (3+5+7)	रकबा (4+6+8)	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या (11+13)	रकबा (12+14)	संख्या (9–15)	रकबा (10–16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सदर	0	0	0	0	0	0	0	0:00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
2	जमालपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
3	धरहरा	0	0	0	0.00	3	9.00	3	9.00	0	0	3	9.00	3	9.00	0	0.00	आवेदक का दखल कब्जा है।
4	बरियारपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
5	खड़गपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
6	टेटियाबम्बर	1	0.39	0	0	0	0	1	0.39	0	0	0	0	0	0.00	1	0.39	समाहर्त्ता महोदय के न्यायालय में वाद की कार्रवाई चल रही है।
7	तारापुर	7	2.29	0	0	0	0	7	2.29	2	0.50	0	0.00	2	0.50	5	1.79	भू–हदबंदी से संबंधित कुल पाँच मामले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है।
8	असरगंज	0	0	1	0.03	0	0	1	0.03	0	0	0	0	0	0.00	1	0.03	आयुक्त महोदय, मुंगेर के यहाँ स्थगन
9	संग्रामपुर	1	0.06250	0	0	0	0.00	1	0.0625	0	0	1	0.0625	1	0.0625	0	0.0000	
कुल		9	2.7425	1	0.03	3	9.00	13	11.7725	2	0.50	4	9.06	6	9.56	7	2.2100	